न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :–19/2020

वादीगण

1. जयप्रकाश पुत्र बुधराम
2. श्रवणकुमार विश्नोई पुत्र बुधराम
3. समता पुत्री बुधराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बुधराम पुत्र लाखाराम
2. शंकरलाल पुत्र लाखाराम
3. सुरताराम पुत्र लाखाराम
   कौम विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी
4. सुबटीदेवी पत्नी चेनाराम
   जाति विश्नोई निवासी रोहिला पूर्व तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
5. मैंनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: संशोधित निर्णय ::–

(निर्णय दिनांक 29.10.2021)

दिनांक :– 20.12.2021

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 40, 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पटवार हल्का बारासण के राजस्व ग्राम बारासण में खेत खसरा नम्बर 441, 442/5, 442/[illegible], [illegible]2/[illegible] रकबा क्रमश: 0–02, 24–01, 28–03, 8–14 बीघा कुल रकबा 61–00 [illegible], खसरा नम्बर 442/6, 442/7 रकबा क्रमश: 0–05, 0–10 बीघा कुल [illegible]बा 0–15 बीघा तथा खसरा नम्बर 437 रकबा 24–07 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी का भू–प्रबन्ध संवत् 2012 में वादीगण के दादा पूर्व पुरूष स्व0 गोवर्धन के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रेकर्ड संधारित हुआ। वादीगण के पूर्व पुरूष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

गोवर्धन का देहान्त हुआ तब उक्त विवादित आराजी वादीगण की नानी सिणगारी के नाम दर्ज हुई, सिणगारी के फौत हो जाने पर उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम विरासत में फौतगी का नामान्तरण खोला गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ग्राम बारासण के खेत खसरा नम्बर 441, 442/5, 442, 442/8 रकबा क्रमशः 0–02, 24–01, 28–03, 8–14 बीघा कुल रकबा 61–00 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/12–1/12 हिस्सा, खसरा नम्बर 442/6, 442/7 रकबा क्रमशः 0–05, 0–10 बीघा कुल रकबा 0–15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का 1/24–1/24 तथा खसरा नम्बर 437 रकबा 24–07 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का 1/12–1/12 है। इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का खाते में नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त खेतो में वादीगण अपने हिस्सानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रोकटोक करता है, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है, जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 20.03.2020 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने सम्मन तामील के बावजूद कोई उजर ऐतराज व आपत्ति न्यायालय में उपस्थित होकर या अधिवक्ता के मार्फत पेश नहीं की है वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी नकलें एवं पैतृक होने सम्बन्धित प्रथम जमाबन्दी नकलें प्रस्तुत की गई हैं तथा साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया है।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय बारासण पेश [illegible] पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई [illegible] आम जानकारी ली गई। चूंकि उक्त [illegible] वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधि[illegible]म के प्रावधानो के अनुसार पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।"

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी तहसील गुड़ामामालानी, पटवार हल्का बारासण के राजस्व ग्राम बारासण के नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 441, 442, 442/12, 442/5, 442/8 रकबा क्रमशः 0.0162, 4.4030, 1.6187, 2.1934, 1.4083 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 437/3 रकबा 3.8850 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 442/6, 442/7 रकबा क्रमशः 0.0405, 0.0809 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/21 को मजमेआम खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी